

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

7/11/19

पत्रावली श्री दिग्गज धनेरा के पार्थना पत्र पर
तलब की गई। पार्थना के वकील श्री धनश्याम
सिंहे शरणवत अपर। ज्ञापकों के वकील ने
पत्र पेश कर निवेदन किया कि पूर्व
में ज्ञापकों के लक्ष्य हुआ क्योंकि ने इला

Handwritten signature
Handwritten signature

प्राप्तपत्र में एक वाद बाबत 188 R.T.A.
में पेश किया कि हुआ है जो विचाराधीन है

Handwritten signature
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

तथा उसके साथ प्र 212 R.T. Act का
 प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है जो भी न्यायालय
 में विचाराधीन है जिसमें वाद सं 54/18
 एवं राज्य विविध अ/18 है। तथा जिसकी
 आगे सुनवाई तारीख पेशी 9/11/19 है।
 दोनों वादों की विषय वस्तु एवं पक्षकारान
 एक ही है तथा दांग भी एक ही है। तथा
 वादीनी श्रीमति रेखा जोशी को पूर्व में वाद
 विचाराधीन है की जानकारी है। दोनों वादों
 एक ही शर्त एवं एक ही पक्षकारों के मध्य
 होने से न्याय को भ्रमित करने हेतु यह
 दावा पेश किया है जिससे दोनों वादों में
 न्यायालय द्वारा अलग-अलग निर्णय हो
 सकते हैं। अतः पूर्व के वाद को एवं दिनांक
 11/11/19 का पेश वाद को आज ही पेशी पर
 लिया जाकर 212 R.T. A की कार्यवाही को
 समाप्त करावे।

इसने प्रार्थी एवं अपाथी के वकीलों
 की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध
 रेकॉर्ड का अवलोकन एवं पत्रन किया तथा
 पूर्व में पेश वाद का अवलोकन एवं पत्रन
 किया। चूंकि पूर्व में पेश वाद सं 54/2018
 एवं सं 5/2018 तथा दिनांक 11/11/19
 का पेश वाद सं 56/19 व सं 84/19

उपखण्ड अधिकारी
 सुमेरपुर, जिला-पाली

तारीख
हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म तामील
नंबर व
तारीख

सरहद मौजा बीडीया पटवार प्रोडल बलुपुरा
के हाल खत नं० 39 खतवा 1-80 ई० खत नं०
40 खतवा 0-01 ई० से संबंधित है।

तथा उक्त खसरो के बाबत भूरी सन्माचारपत्र
में विचारधीन होने से इस प्रकार में
दिनांक 11/11/19 को दिया गया स्थगन
आदेश प्रत्याहृत किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो।
निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

